

राजस्थान सरकार  
विधि (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प. 8(7)विधि-2/विरसं.(39)/2002पार्ट/127

जयपुर, दिनांक: 11-04-2022

आज्ञा

राज्य सरकार द्वारा माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर की अभिशंषानुसार विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22(बी) के अधीन जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश स्तर से सेवानिवृत्त या निवर्तमान निम्नलिखित अधिकारियों को पूर्णकालिक स्थाई लोक अदालत में पूर्णकालिक अध्यक्ष पद पर एक वर्ष के लिए नियुक्ति हेतु मनोनयन किये जाने का अनुमोदन एतद्वारा किया जाता है:-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम (वरियता के अनुसार)	स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष पद हेतु प्रस्तावित स्थान	पदस्थापन प्रभाव में आने की तिथि
01.	श्री हरविन्दर सिंह	जयपुर महानगर	तत्काल
02.	श्री अनूप कुमार सक्सेना	अजमेर	तत्काल
03.	श्री गिरीश कुमार शर्मा	कोटा	तत्काल
04.	श्री अजय कुमार शर्मा - प्रथम पुत्र स्व. श्री देवकी नन्दन शर्मा	झालावाड़	तत्काल
05.	श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा	जोधपुर महानगर	तत्काल
06.	श्री गंभीर सिंह	भरतपुर	तत्काल
07.	श्री प्रेम प्रकाश गुप्ता	पाली	तत्काल
08.	श्री कैलाश चन्द्र मिश्रा	बालोतरा	तत्काल


राज्यपाल महोदय की आज्ञा से

—sd—  
(प्रवीर भटनागर)

प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
2. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
4. संयुक्त शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
5. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, माननीय विधि मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
7. निजी सचिव, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
8. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
10. सम्बन्धित अधिकारीगण जरिये कार्यालय सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

  
(गिरिजेश कुमार ओझा)  
विशिष्ट शासन सचिव, विधि  
(विर.सं.)